



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक : 762/अका./वि.प.स्थायी समिति/2023

रायपुर, दिनांक 21/09/2023

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् के स्थायी समिति की बैठक गुरुवार, दिनांक 21.09.2023 को अपराह्न 03:00 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के कुलपति सचिवालय के सभा-कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए -

1. प्रो. सच्चिदानंद शुक्ल, कुलपति	—	अध्यक्ष
2. डॉ. शैल शर्मा	—	सदस्य
3. डॉ. व्यास दुबे	—	सदस्य
4. डॉ. तपेश चंद्र गुप्ता	—	सदस्य
5. डॉ. राजीव चौधरी	—	सदस्य
6. डॉ. संजय जे. डहरवाल	—	सदस्य
7. डॉ. (श्रीमती) अदिति पोद्दार	—	सदस्य
8. डॉ. ए.के. श्रीवास्तव	—	सदस्य
9. डॉ. संजय कुमार	—	सदस्य
10. डॉ. शैलेंद्र कुमार पटेल, कुलसचिव	—	सचिव

कार्यवृत्त


- विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 03.08.2023 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।
निर्णय: सम्पुष्टि की गई।
- विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 03.08.2023 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।
निर्णय: विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 03.08.2023 के पालन प्रतिवेदन के अध्यक्ष के अनुमति से बिंदु क्रमांक 2 को आगामी बैठक में पालन कर सूचनार्थ प्रस्तुत करने के निर्णय के साथ अन्य विषयों की सूचना ग्रहण की गई।
- निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालय को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र-संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी संबद्धता दिए जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है -

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	सीट संख्या	सत्र
i	शासकीय माता कर्मा कन्या महाविद्यालय, महासमुंद	M.Com.-I & II Semester	30	2023-24
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	सीट संख्या	सत्र
ii	नवीन शासकीय महाविद्यालय, माना कैम्प, रायपुर, जिला-रायपुर	B.A.-I- F.C. (Hindi & English Language), Political Sc., Sociology, History,	90	2023-24
		B.Sc.-I-Computer Sc.	45	
		B.Sc.-I- (Masths Group) - FC (Hindi & English Language), Chemistry, Maths, Physics	45	
		B.Com.- I- Compulsory subject	90	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सीट संख्या	सत्र
iii	शास. नवीन कन्या महाविद्यालय, गोबरा-नवापारा, जिला-रायपुर	B.Sc.-III- Bio Group (F.C.-Hindi, English), Botany, Zoology, Chemistry	45	2023-24
		B.Sc.-III- Maths Group (F.C.- Hindi, English), Chemistry, Maths, Physics	45	
		B.A.-III- (F.C.-Hindi, English), Political Science, Geography, Sociology	90	
		B.Com.-III- All Compulsory Subject	90	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सीट संख्या	सत्र
iv	यशवंत राव मेघावले शास. महाविद्यालय, मगरलोड, जिला-धमतरी	B.Sc.-III- Maths, Physics	40	2023-24
		B.A.-III- Hindi Literature	40	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सीट संख्या	सत्र
v	डॉ. राधाबाई शासकीय नवीन कन्या महा. रायपुर	M.Sc.-I/II Sem. Chemistry	20	2023-24
		Botany	20	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सीट संख्या	सत्र
vi	सत्यनारायण अग्रवाल शास. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, कोहका-नेवरा, जिला-रायपुर	M.Sc.-I/II Sem. Maths	20	2023-24
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सीट संख्या	सत्र
vii	स्व. रामनाथ वर्मा शास. महाविद्यालय, मोपका-निपनिया, जिला-बलौदाबाजार -भाटापारा	B.Sc.-I- Botany, Zoology	90	2023-24
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				



क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सीट संख्या	सत्र
viii	स्व. श्री जयदेव सतपथी शास. महा. बसना, जिला- महासमुंद	PGDCA (Self Finance)	30	2023-24
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सीट संख्या	सत्र
ix	शास. शहीद वीर नारायण सिंह महा. बिलाईगढ़, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़	M.Sc.-III/IV Sem.	30	2023-24
		M.Sc.-III/IV Sem. Botany	30	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सीट संख्या	सत्र
x	संत गुरु घासीदास शास. स्नातकोत्तर महा. कुरुद, जिला-धमतरी	M.Sc.-I/II Sem. Information Technology (I.T.)	20	2023-24
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सीट संख्या	सत्र
xi	दिशा कॉलेज रामनगर, कोटा मार्ग, रायपुर	B.A. (F.C., Sociology, Hindi Litt., Psychology, Political Sc., Economics, History (New Course))	60	2023-24
		B.Sc.- Seat extension	40	
		M.Sc. Final Year Maths	30	
निर्णय: सत्र 2023-24 के लिए अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई एवं निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने की अनुशंसा की गई। शर्तें पूर्ण न करने की स्थिति में संबद्धता पर पुनर्विचार हेतु शासन को पत्र प्रेषित किया जाए।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सीट संख्या	सत्र
xii	श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, पुराना धमतरी रोड, सेजबहार, रायपुर, जिला-रायपुर	B.B.A. Seat extension	30	2023-24
		B.Com.- Seat extension	30	
निर्णय: सत्र 2023-24 के लिए अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई एवं निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने की अनुशंसा की गई। शर्तें पूर्ण न करने की स्थिति में संबद्धता पर पुनर्विचार हेतु शासन को पत्र प्रेषित किया जाए।				



क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सीट संख्या	सत्र
xiii	इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एंड साइंसेस गरियाबंद, जिला-गरियाबंद	बी.एस.सी. बायो अंतिम वर्ष (रसायन, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान)	30	2023-24
		बी.एस.सी. गणित अंतिम वर्ष (भौतिक शास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित)	30	
निर्णय: सत्र 2023-24 के लिए अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई एवं निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने की अनुशंसा की गई। शर्तें पूर्ण न करने की स्थिति में संबद्धता पर पुनर्विचार हेतु शासन को पत्र प्रेषित किया जाए।				

04. शासकीय दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर को अर्थशास्त्र विषय में शोध-केंद्र की मान्यता प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: अनुशंसा की गई।

05. (1) श्री रावतपुरा सरकार कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ग्राम पचेड़ा, अभनपुर, रायपुर, (2) रविशंकर ग्लोबल एजुकेशन कॉलेज, ग्राम-धनेली, माना जिला-रायपुर, (3) श्री रावतपुरा सरकार कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ग्राम धनेली, माना, रायपुर एवं (4) श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, नया रायपुर को शैक्षणिक सत्र 2023-24 से असम्बद्ध करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: सम्बद्धता समाप्त करने की सैद्धांतिक सहमति संशोधित विनियम क्रमांक 129 के अंतर्गत प्रदान की गई। माननीय उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरण WPC -Case No. WPC/2229/2019 और WPC/2230/2019 को वापस लेने के पश्चात् ही उक्त संदर्भ में अग्रेतर प्रशासनिक कार्यवाही किए जाने की अनुशंसा की गई।

06. अध्यादेशों के परीक्षण हेतु गठित समिति की शुक्रवार, दिनांक 08.09.2023 को एम.एस-सी. (आई. टी.) एवं एम.एस-सी. (कम्प्यूटर साइंस) पाठ्यक्रम के अध्यादेश में संशोधन के संबंध में "बैठक दिनांक 04.08.2023 के पद क्रमांक (2) में प्रस्तावित संशोधन को निरस्त करते हुए प्रस्तावित संशोधित अध्यादेश क्रमांक 149 एवं 150 को अंगीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया है।" अनुशंसा हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय: प्रस्तावित संशोधित अध्यादेश क्रमांक 149 एवं 150 की अनुशंसा की गई।

07. अध्यादेश परीक्षण हेतु गठित समिति की शुक्रवार, दिनांक 08.09.2023 को आयोजित बैठक में प्राचार्य, शास. नागार्जुन विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक 904/2023 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा विषय समूह के निर्धारण के संबंध में विचार करना।

निर्णय: अध्यादेश परीक्षण हेतु गठित समिति की शुक्रवार, दिनांक 08.09.2023 को आयोजित बैठक में निम्नलिखित विषय समूह के निर्धारण हेतु विचार किया गया -

- (1) भौतिक शास्त्र, गणित, भूगोल
- (2) गणित, रसायनशास्त्र, अर्थशास्त्र
- (3) रसायनशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, भूगोल
- (4) रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र, अर्थशास्त्र

निर्णय लिया गया कि - "(1) उपरोक्त प्रस्तावित विषय समूह को विश्वविद्यालय के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 21 में सम्मिलित कर समाहित किए जाने का अनुरोध किया गया है, जिसका निर्णय पद क्रमांक (4) में उल्लेखित है।"

(4) विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर के प्रस्तावित पाठ्यक्रम विषय समूह अध्यादेश क्रमांक 197 एवं विनियम क्रमांक 201 से संचालित है, दोनों में विषय समूहों का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त विषय समूह को समाहित किए जाने की अनुशंसा की गई।

08. बी.एस-सी. के अध्यादेश क्रमांक 21 की कंडिका 6 की उप कंडिका (ii) के सरल क्रमांक 26 एवं 27 में विषय समूह निर्धारण के संबंध में विचार करना।

निर्णय: बी.एस-सी. के अध्यादेश क्रमांक 21 की कंडिका 6 की उप कंडिका (ii) के सरल क्रमांक 26 एवं 27 में विषय समूह निर्धारण हेतु अध्यक्ष अध्ययन मण्डल द्वारा निम्नानुसार विषय समूह निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की गई -

(26) Physics, Mathematics, Computer Science/Information Technology/Computer Application.

(27) Chemistry, Mathematics, Computer Science/Information Technology/Computer Application

09. भारत का राजपत्र, असाधारण भाग-III-खण्ड 4 प्राधिकारी से प्रकाशित सं. 271, नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 18, 2018 के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अधिसूचना नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2018 (विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी विनियम, 2018) को विश्वविद्यालय परिनियम 28 में समाहित किए जाने हेतु अंगीकृत करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: अंगीकृत करते हुए परिनियम 28 में समाहित किए जाने की अनुशंसा की गई।

10. चंद्रपाल डडसेना शासकीय महाविद्यालय, पिथौरा, जिला-महासमुंद में संचालित बी.एस-सी. (विज्ञान समूह), एम.ए. अंग्रेजी, इतिहास एवं पी.जी.डी.सी.ए. में सीट वृद्धि के संबंध में विचार करना।

निर्णय: चंद्रपाल डडसेना शासकीय महाविद्यालय, पिथौरा, जिला-महासमुंद में संचालित पाठ्यक्रम बी.एस-सी. (विज्ञान समूह), एम.ए. अंग्रेजी, इतिहास एवं पी.जी.डी.सी.ए. में छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर का पत्र क्र. एफ 3-48/2023/38-1 नवा रायपुर, दिनांक 14.07.2023 के द्वारा सीट वृद्धि आदेश का निम्नानुसार अनशंसा किया गया :-

क्र.	कक्षा का नाम	संचालन का प्रकार	निर्धारित सीट संख्या	सीट वृद्धि	कुल सीट संख्या
1.	बी.एस-सी. (विज्ञान समूह)	शासन से	115	35	150
2.	एम.ए. अंग्रेजी	शासन से	30	20	50
3.	एम.ए. इतिहास	शासन से	30	20	50
4.	पी.जी.डी.सी.ए.	जनभागीदारी मद	60	15	75

11. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में संचालित विश्वविद्यालय पत्र क्र. 6102/अका./2015 रायपुर दिनांक 29/10/2015 द्वारा गठित Question Paper reform committee द्वारा अनुशंसित एवं सत्र 2016-17 से प्रभावशील एम.ए., एम. काम., एम.एस-सी., एम.सी.ए., एलएल.एम., एम.पी.एड. एवं एम.लिब. परीक्षाओं के सेमेस्टर सिस्टम के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के Question Paper Pattern में परिवर्तन संबंधी परीक्षा प्रकरण निवारण समिति (Examination Affairs Redressal Committee) की बैठक दिनांक 13/06/2023 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करने बाबत।

निर्णय: पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में संचालित एम.ए., एम. काम., एम.एस-सी., एम.सी.ए., एलएल.एम., एम.पी.एड. एवं एम.लिब. परीक्षाओं के सेमेस्टर सिस्टम के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय पत्र क्र. 6102/अका./2015 रायपुर दिनांक 29/10/2015 द्वारा गठित Question Paper reform committee द्वारा अनुशंसित एवं सत्र 2016-17 से प्रभावशील एवं प्रचलित Question Paper Pattern के स्थान पर विश्वविद्यालय अधिसूचना क्र. 685 /परीक्षा/2023 रायपुर दिनांक 11/05/2023 द्वारा गठित परीक्षा प्रकरण निवारण समिति

(Examination Affairs Redressal Committee) की बैठक दिनांक 13/06/2023 द्वारा निम्नानुसार परिवर्तन की अनुशंसा की गयी है।

- प्रश्नपत्र के पूर्णांक पाठ्यक्रम योजना अनुसार होगा।
- प्रश्नपत्र 3 खण्ड (खण्ड अ, खण्ड ब एवं खण्ड स) में विभक्त होगा।
- सभी खण्ड में प्रत्येक इकाई से प्रश्न पूछे जाएंगे।
- खण्ड अ तथा खण्ड ब के सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे।
- खण्ड स में आन्तरिक विकल्प दिया जाएगा।

प्रश्नपत्र में प्रश्न एवं अंकों का विभाजन पूर्णक 80 एवं 100 के आधार पर निम्नानुसार होगा:-
पूर्णांक 80 अंक हेतु

प्रश्नपत्र प्रतिरूप	खण्ड	कुल प्रश्न	प्रति प्रश्न अंक	कुल अंक
बहुवैकल्पिक/रिक्त स्थान/एक शब्द में उत्तर	A	8 अथवा 10	2.5 अथवा 2	20
लघुउत्तरीय (≤ 100 शब्द)	B	4 अथवा 5	5 अथवा 4	20
दीर्घउत्तरीय, प्रत्येक इकाई से 1 प्रश्न (≥ 350 शब्द)	C	4 अथवा 5	10 अथवा 8	40
कुल अंक				80

पूर्णांक 100 अंक हेतु

प्रश्नपत्र प्रतिरूप	खण्ड	कुल प्रश्न	प्रति प्रश्न अंक	कुल अंक
बहुवैकल्पिक/रिक्त स्थान/एक शब्द में उत्तर	A	8 अथवा 10	2.5 अथवा 2	20
लघुउत्तरीय (≤ 100 शब्द)	B	4 अथवा 5	7.5 अथवा 6	30
दीर्घउत्तरीय, प्रत्येक इकाई से 1 प्रश्न (≥ 350 शब्द)	C	4 अथवा 5	12.5 अथवा 10	50
कुल अंक				100

उक्त अनुशंसित Question Paper Pattern सत्र 2023-24 से उपर्युक्त सभी सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए प्रभावशील होगा।

उपरोक्तानुसार स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के Question Paper Pattern में परिवर्तन संबंधी परीक्षा प्रकरण निवारण समिति (Examination Affairs Redressal Committee) की बैठक दिनांक 13/06/2023 के कार्यवृत्त की अनुशंसा की गई।

12. एक ही शिक्षा सत्र में एक साथ दो डिग्री या एक डिग्री एवं एक डिप्लोमा परीक्षा में सम्मिलित होकर अर्जित किए गए डिग्री/डिप्लोमा के आधार पर छात्रों का विश्वविद्यालय में प्रवेश पात्रता के संबंध में विचार करना।


निर्णय: विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 6 Examination (General) के Part-V General Conditions applicable to all Students अंतर्गत कंडिका (16) के प्रथम एवं द्वितीय पैरा के अनुसार प्रवेश की पात्रता नहीं होने की अनुशंसा की गई।

13. पं. रविशंकर वि.वि. में Distinguished Professor के Honorary Engagement के संबंध में विचार करना।

निर्णय: पं. रविशंकर वि.वि. में Distinguished Professor के Honorary Engagement के संबंध में प्रस्तावित विनियम की अनुशंसा की गई।

14. स्नातक स्तर चार वर्षीय पाठ्यक्रम (FYUP) संबंधी अध्यादेश क्रमांक-197 में संशोधन/एकरूपता हेतु गठित समिति द्वारा आवश्यक संशोधन उपरांत प्रस्तुत अध्यादेश के संबंध में।


निर्णय: स्नातक स्तर चार वर्षीय पाठ्यक्रम (FYUP) संबंधी अध्यादेश क्रमांक-197 में संशोधन प्रस्ताव की अनुशंसा की गई।




15. डी.लिट. उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् नवीन शीर्षक के साथ पुनः डी.लिट. पंजीयन हेतु गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करना।

निर्णय: अध्यादेश 46 (Doctor of Letters/Science/Laws) के बिंदु क्रमांक 01 के अनुसार डी.लिट. उपाधि हेतु उम्मीदवार को पी-एच.डी. उपाधि प्राप्त करने के 05 वर्ष बाद तथा 10 शोध पत्र किसी स्तरीय (मानक) शोध पत्रिका में प्रकाशित किए जाने के उपरांत डी.लिट. उपाधि हेतु आवेदन की पात्रता है। इस प्रावधान को ध्यान में रखने हेतु डी.लिट. उपाधि प्राप्त करने के 05 वर्ष बाद तथा विषय से संबंधित 10 नए शोध पत्र स्तरीय (मानक) शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित करने के उपरांत ही आगामी शोध उपाधि हेतु आवेदन पर विचार किए जाने का निर्णय लिया गया।

धन्यवाद ज्ञापन करने के साथ बैठक संपन्न हुई।



कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक : 763 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2023
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 21 / 09 / 2023

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. वित्त नियंत्रक / अंकेक्षण,
3. उ.कू.स. परीक्षा / सामान्य प्रशासन / स.कू.स. गोपनीय,
4. संचालक, आई.क्यू.ए.सी.,
5. कुलपति / कुलसचिव के निज सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु अग्रेषित।


उप-कुलसचिव (अका.)